संख्या-1123 /X-2-2011-12(12)/2011

प्रेषक,

अहमद अली,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 16 मई, 2011**

विषयः-वर्ष 2011-12 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आपके पत्र संख्या-नि0-1541/3-5 दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के क्रम में फायर सीजन होने तथा निकट भविष्य में वनाग्नि की सम्भावित घटनाओं के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के वर्ष 2011-12 में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित राज्य सेक्टर की योजना **"वनों की अग्नि से सुरक्षा"** हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार ₹ **1,43,50,000/-** (₹ **एक करोड़ तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र**) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यो के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(3) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय

क्रमशः.....2

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(11) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(12) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(13) आयोजनागत पक्ष की चालू योजनायें जिन्हें पाँच वर्ष या अधिक हो गया है, का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से नियोजन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा तथा फलस्वरूप उन योजनाओं के सम्बन्ध में नियोजन एवं वित्त विभाग के परामर्श से अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा.

(14) आयोजनागत पक्ष की प्रत्येक योजना का नियमित आधार पर अनुश्रवण/समीक्षा उनके आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा और यदि वांछित आउटकम/आउटपुट की उपलब्धि नहीं होती/पाई जाती है तो उनके सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा.

(15) उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के भी अधीन है कि आयोजनागत योजनाओं के पक्ष में आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी जब शासनादेश सं0-998/X-2-2011-12(13)/2010 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के द्वारा आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित सूचना यथा प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की स्पष्ट स्थिति शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी.

(16) व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों तथा प्रभावी आदेशों के अन्तर्गत यथास्थिति सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा.

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-32/(पी)/XXVII(4)/2011 दिनांक 10 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

(अहमद अली)
अनु सचिव

क्रमशः.....3

शासनादेश सं0-1123 /X-2-2011-12(12)/2011 दिनांक 16 मई, 2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र. सं.		योजना का नाम	बजट प्राविधान	वित्तीय स्वीकृति
1		2	3	4
	2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन		
		01-वानिकी		
		800-अन्य व्यय		
1	03-	वनों की अग्नि से सुरक्षा		
		13- टेलीफोन पर व्यय	500	500
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000	1000
		16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	100
		24- वृहत निर्माण कार्य	8000	6400
		26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3000	3000
		29- अनुरक्षण	3000	2400
		42- अन्य व्यय	500	500
		44- प्रशिक्षण व्यय	200	200
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200	200
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टैशनरी का क्रय	50	50
		योग	**16550**	**14350**

(वित्तीय स्वीकृति ₹ एक करोड़ तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)

अहमद

(अहमद अली)
अनु सचिव